बंटवारा वाद संख्या 323 / 1999
सीआईएस 1329 / 2018
दिनांक 8.11.2023

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 08.11.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी संख्या 2 की तरफ से प्रस्तुत है आवेदन दिनांक 21.01.2023 आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी सं0 2 ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी सं0 दिलीप दास 25.10.2022 को अपनी पत्नी प्रतिवादी सं0 1 व तीन लड़के प्रतिवादी सं0 3 से 5 तथा तीन लड़कियों को छोड़ कर स्वर्गवास कर गये हैं उनकी पत्नी तथा लड़के पहले से ही प्रतिवादी के रूप में हैं परन्तु उनकी लड़कियां प्रतिवादी नहीं है । प्रतिवादी सं0 1 दिलीप दास के स्वर्गवास होने के बाद उनकी लड़कियों का फरीक होना आवश्यक है अतः प्रतिवादी सं0 1 दिलीप दास के स्थान पर उनकी लड़कियां पुतुल देवी जौजे जितेन्द्र पटवा, आरती देवी जौजे संतोष पटवा, मुनवा देवी जौजे मुन्ना पटवा सब के पिता स्वर्गीय दिलीप दास साकिन व थाना संग्रामपुर, जिला पूर्वी चम्पारण का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे।

प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत आवेदन का लिखित में जवाब अभिलेख पर नहीं है प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान आवेदन का विरोध किया।

मामले में वादी सं0 2 के आवेदन का अवलोकन किया। समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेख का अनुशीलन किया। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है एवं परिसीमा अवधि के भीतर है चूंकि प्रतिवादीगण ने आवेदन का विरोध किया है प्रस्तुत मामले में चूंकि प्रतिवादी सं0 1 दिलीप दास की मृत्यु हो चुकी है और उनकी पत्नी और लड़के पहले से ही केस में प्रतिवादीगण बने हुए हैं परन्तु उनकी तीन लड़किया वाद में प्रतिवादी के रूप में नहीं हैं अतः उनका मामले के सम्यक निर्धारण हेतु पक्षकार बनना आवश्य है अतः वादी सं0 2 का आवेदन के आदेश 22 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है और कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मृत प्रतिवादी के स्थान पर उसका नाम कलमजद करते हुए उसके वारिसान तीनों लड़कियों पुतुल देवी जौजे जितेन्द्र पटवा, आरती देवी जौजे संतोष पटवा, मुनवा देवी जौजे मुन्ना पटवा सब के पिता स्वर्गीय दिलीप दास साकिन व थाना संग्रामपुर, जिला पूर्वी चम्पारण का नाम प्रतिस्थापित करे और एतद द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन अन्तर्गत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक .... वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।